बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या : 27/DOH/CS/04/2026 - प्र०प्र०क्षे०- 61 - पटना, दिनांक-31.07.2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अपर सचिव,'
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।**(+)

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल (60:40) अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव (80:20)का वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 9748.18 लाख (सन्तानवे करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

महाशय,

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल (60:40) अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव (80:20) का वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 9748.18 लाख (सन्तानवे करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना है, जिससे जल के अपव्यय को रोका जा सकता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करने से न केवल जल की बचत होती है बल्कि इस पद्धति में उपलब्ध उर्वरक संयत्र के उपयोग से कम उर्वरक में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के उपयोग से फसलों पर कीट व्याधि तो कम होते ही है, इसके साथ हीं खेतो में खर–पतवार तथा उत्पादन लागत में भी कमी आती है। कृषि उत्पाद के गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाने वाले कृषकों जिनके पास जल स्रोत उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन्हें सहायतानुदान के रूप में निजी बोरवेल, पम्पसेट उपलब्ध कराया जायेगा।

3. भारत सरकार के पत्रांक 3-4/2025-PC दिनांक 14.01.2026 द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना प्रति–बूँद अधिक फसल अन्तर्गत 129.22 करोड़ रूपये का Allocation किया गया है। दिनांक – 27.02.2026 को SLSC की बैठक में 10416.000 लाखरूपये के वार्षिक कार्य योजना को अनुशंसित किया गया, जिसे भारत सरकार के पत्रांक 1-4/2026-RKVY दिनांक 22.04.2026 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से केन्द्रांश एवं राज्यांश अन्तर्गत 80 प्रतिशत राशि प्रति बूंद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई)हेतु तथा 20 प्रतिशत राशि प्रति बूंद अधिक फसल (अन्य अंतः क्षेप) हेतु कर्णांकित है। भारत सरकार के पत्रांक File No.1-4/2026 RKVY-213 दिनांक–27.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु Mother Sanction (Central) अन्तर्गत 41.80 करोड़ रूपये की विमुक्ति की गई है।

4. केन्द्र प्रयोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना प्रति–बूँद अधिक फसल अन्तर्गत राज्य के सभी जिला आच्छादित है। प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना प्रति–बूँद अधिक अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य अन्तःक्षेप अवयव का विस्तृत कार्य योजना से संबंधित विवरणी अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के रूप में सलग्न है।

5. योजना के कार्यान्वयन, आवेदन संग्रहण, क्षेत्र सत्यापन एवं अनुदान का भुगतान पूर्णतः ऑनलाइन किया जायेगा।

6. ड्रिप सिंचाई पद्धति अन्तर्गत अनुदान की सीमा न्यूनतम 0.5 एकड़ तथा अधिकतम 12.5 एकड़ एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अन्तर्गत न्यूनतम 1 एकड़ तथा अधिकतम 5 एकड़ है। पोर्टेबल सिंचाई पद्धति हेतु आवेदन करने वाले कृषकों को बोरवेल एवं पम्पसेट पर अनुदान देय नहीं है।

7. योजना के लिए स्वीकृत कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश के Allocation के अन्तर्गत है। भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान एवं राज्य सरकार के बीच सहायतानुदान का सहभागिता स्वरूप का अनुपात 60:40 दिया जाना है। स्प्रिंकलर एवं अन्य अन्तःक्षेप के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई दर के आधार पर ही अनुदान भुगतान होंगे।

8. केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड द्वारा चिन्हित Semi critical, Critical एवं over exploited क्षेत्रों को छोड़कर उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-- प्रतिबूंद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई) अंतर्गत शामिल लाभुकों को अन्य अंतःक्षेप योजना का लाभ दिया जायेगा।

9. केन्द्र प्रयोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल अन्तर्गत राज्य के सभी जिला आच्छादित है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 में ड्रिप हेतु 24700 एकड़ तथा पोर्टेबुल स्प्रिंकलर हेतु 1482 एकड़ कुल 26182 एकड़ में की जायेगी, जहाँ प्रति एकड़ 3 मानव दिवस रोजगार सृजन की दर से 78546 मानव दिवस सृजित होने की संभावना है। अन्य अन्तःक्षेप हेतु 4755 बोरवेल एवं पम्पसेट निर्माण का कार्य किया जायेगा। जहाँ प्रति बोरवेल एवं पम्पसेट हेतु 10 मानव दिवस रोजगार सृजन हेतु 47550 मानव दिवस रोजगार सृजन होने की संभावना है। इस प्रकार लगभग 126096 मानव दिवस रोजगार सृजन होने की संभावना है।

10. **ड्रिप सिंचाई** :- भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना के प्रारूप में ड्रिप को एक अवयव के रूप में रखा गया है, जिसके अन्तर्गत ड्रिप के तीन उप अवयव यथा ड्रिप, मिनी एवं माईक्रो स्प्रिंकलर का प्रति हे० Indicative Cost अलग-अलग है। ड्रिप एवं मिनी के Indicative Cost तथा Optional Component की कुल राशि पर GST की राशि को जोड़ने पर प्रति हे० लागत क्रमशः 168736.00 (एक लाख अड़सठ हजार सात सौ छत्तीस) रूपये एवं 126345.00 (एक लाख छब्बीस हजार तीन सौ पैतालिस) रूपये अनुमानित है। इस प्रकार 10000 हे०हेतु ड्रिप के तीन अवयवों का औसत इकाई लागत (Indicative Cost 1.37 लाख (एक लाख सैतिस हजार) रूपये प्रति हे० के अनुसार योजना के सूत्रण में राशि की गणना की गयी है (अनुसूची-3 के रूप में संलग्न), जिस पर लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 55 एवं अन्य कृषकों के लिए 45 प्रतिशत के अनुदान पर क्रमशः 0.754 लाख (पचहत्तर हजार चार सौ) रूपये एवं 0.617 लाख (एकसठ हजार सात सौ) रूपये प्रति हे० पर वार्षिक कार्य योजना तैयार किया गया है।

ड्रिप सिंचाईके अवयव यथा ड्रिप, मिनी एवं माईक्रो स्प्रिंकलर का Indicative Cost प्रति हे० ड्रिप (1.2x0.4 or Lower Spacing) हेतु 146626.00 (एक लाख छियालीस हजार छः सौ छब्बीस) रूपये मिनी स्प्रिंकलर (10x10 m spacing) हेतु 108254.00 (एक लाख आठ हजार दो सौ चौवन) रूपयेएवं माईक्रो स्प्रिंकलर (5x5 m spacing) हेतु 74867.00 (चौहत्तर हजार आठ सौ सड़सठ) रूपये भारत सरकार द्वारा निर्धारित है।

कृषक ड्रिप सिंचाई हेतु Optional Component यथा हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर, सैण्ड फिल्टर, फर्टिलाईजर टैंक एवं ड्रिप लाइन वाईडिंग मशीन लेने का चयन करते हैं तो उस पर उपरोक्त Indicative Cost के साथ-साथ अतिरिक्त Optional Component पर लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 55 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 से GST पर अनुदान देय है तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के कंडिका 7.31.1 के आलोक में प्रति बूंद अधिक फसल के तहत चिन्हित FRA PATTA धारक को देय वित्तीय सहायता 90 प्रतिशत यानि 1.233 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर होगा। जबकि शेष 10 प्रतिशत लाभार्थी (FRA PATTA धारक) द्वारा वहन किया जायेगा। अनुसूची-4 के रूप में संलग्न है।

11. **पोर्टेबल स्प्रिंकलरः**-पोर्टेबल स्प्रिंकलर हेतु स्वीकृत लक्ष्य 600 हे० है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर GST की राशि को जोड़ने पर प्रति हे० इकाई लागत 0.29214 लाख (उन्तीस हजार दो सौ चौदह) रूपये है, जिस पर 0.16068 लाख (सोलह हजार अड़सठ) रूपये (55 प्रतिशत) लघु एवं

सीमांत कृषकों के लिए तथा 0.13146 लाख (तेरह हजार एक सौ छियालीस) रूपये (45 प्रतिशत) अन्य कृषकों के लिए अनुदान निर्धारित है।

12. **अन्य अन्तःक्षेपः**– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– प्रति बूंद अधिक फसल अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई हेतु जल स्रोत निर्माण (Source Creation) का कार्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– प्रति बूंद अधिक फसल– अन्य अंतःक्षेप के माध्यम से किया जाना है तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत चयनित कृषकों को ही इस योजना (बोरवेल एवं पम्पसेट) का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य अंतःक्षेप एक integrated scheme है तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले जिन कृषकों के द्वारा जल स्रोत निर्माण के लिए विकल्प दिया जायेगा वैसे कृषकों के आवेदन अन्तर्गत उद्यान निदेशालय के क्षेत्रीय कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा जाँच कर अन्य अंतःक्षेप का कार्य कराया जायेगा।

अन्य अन्तःक्षेप अंतर्गत संलग्न मॉडल प्राक्कलन के अनुसार 48.78 मीटर (160 फीट) की गहराई के निजी बोरवेल के लिए प्राक्कलित राशि 79480.00/– (उनासी हजार चार सौ अस्सी) रु० है। उक्त प्राक्कलन के आलोक में 48.78 मीटर की गहराई के निजी बोरवेल की योजना के लिए अधिकत्तम 25000.00 (पच्चीस हजार) रु० अनुदान दिया जायेगा एवं 3.00 एच०पी० (अश्व शक्ति) तक क्षमता के BIS मानक वाले energy efficient सबमर्सिबल पम्पसेट का उपयोग किया जायेगा। पम्पसेट का Total Head- न्यून्तम 70m, Flow rate न्यून्तम 60 lpm, Wiring-Copper होना चाहिए। उक्त विनिर्देश के पम्पसेट के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000.00 रु० अनुदान अनुमान्य होगा। उक्त से संबंधित प्राक्कलन अनुसूची–5 के रूप में संलग्न है।

योजना स्थल की आवश्यकता के अनुसार बोरवेल की गहराई मॉडल प्राक्कलन में निर्धारित गहराई से कम अथवा अधिक हो सकती है। तदनुसार गहराई कम होने की स्थिति में वास्तविक गहराई के अनुपात में अनुदान अनुमान्य होगा परन्तु गहराई अधिक होने की स्थिति में अधिकतम निर्धारित अनुदान ही अनुमान्य होगा।

13. भारत सरकार के द्वारा दिसम्बर 2024 में जारी गाईडलाइन के अनुसार योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच सहभागिता स्वरूप का अनुपात 60:40 निर्धारित है।

14. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई) हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 55 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत तथा FRA PATTA धारक कृषकों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान निम्नलिखित तालिकानुसार वर्ष 2026–27 में अनुदान देय होगा।

कृषक	ड्रिप सिंचाई पद्धति			स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति		
	केन्द्रांश	मैचिंग राज्यांश	कुल अनुदान प्रतिशत	केन्द्रांश	मैचिंग राज्यांश	कुल अनुदान प्रतिशत
लघु एवं सीमांत	33%	22%	55%	33%	22%	55%
अन्य	27%	18%	45%	27%	18%	45%
एफ.आर.ए. पट्टा धारक कृषक	54%	36%	90%	-	-	

15. योजनान्तर्गत कृषक समूह/FPOs एवं जीविका समूह को नियमानुसार लाभ दिया जायेगा।

16. अन्य अंतःक्षेप अन्तर्गत किसान/लाभुक के द्वारा व्यक्तिगत् नलकूप का कार्य कराने की परिस्थिति में संबंधित जिला के WDT (Engg. Expert) / ATM (Agri. Engg.) / BTM(Agri. Engg.) / Agriculture Co-ordinator (Agri. Engg.) या जिला बागवानी समिति के अध्यक्ष की अनुमति से जिला के किसी भी अन्य कनीय अभियंता मापीपुस्त को संधारित करने हेतु प्राधिकृत रहेंगे तथा मापीपुस्त को संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा संधारित किया जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर पंजीकृत किसी प्रतिष्ठानों में से अपने मनोनुकूल प्रतिष्ठान का चयन कर कृषक द्वारा आवेदन ऑनलाइन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत आवेदन करने वाले किसानों को जल श्रोत निमार्ण के लिए विकल्प दिया जायेगा, वैसे आवेदनों को उद्यान निदेशालय के क्षेत्रिय कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा जाँच कर अन्य अंतःक्षेप का कार्य कराया जायेगा। कृषकों द्वारा अपने मनोकुल प्रतिष्ठान का चयन के उपरांत उक्तप्रतिष्ठान द्वारा सर्वे के पश्चात् डिजाइन तैयार कर प्राक्कलन ऑनलाइन आवेदक के आवेदन के साथ टैग किया जायेगा। क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच के पश्चात् कार्यादेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया

जायेगा। तत्पश्चात् निबंधित प्रतिष्ठान संबंधित कृषक के भूमि पर सिंचाई पद्धति का संस्थापन करेगी।

17. संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा बोरवेल की गहराई एवं सबमर्सिबल पम्प की जाँच के उपरान्त ही अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।
18. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल के आकार एवं स्वरूप में भारत सरकार से प्राप्त आवंटन एवं समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देश के अनुरूप परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
19. भारत सरकार के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ कृषकों की इच्छा से DBT-IN-KINDS/DBT-IN-CASH के रूप में किसान/कंपनी को सीधे उनके बैंक खाता में केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की राशि SNA SPARSH/CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा। सभी आवेदन ऑनलाइन भरा जा सकेगा। सूक्ष्म सिंचाई अन्तर्गत किसानों के अंश की राशि किसान द्वारा Bihar Horticulture Development Society (BHDS) के बैंक खाता में स्थानान्तरण किया जायेगा जिसके उपरांत मुख्यालय द्वारा जाँचोंपरांत संबंधित कंपनी के बैंक खाता में स्थानान्तरण किया जायेगा। अगर कुल लागत का किसान सम्पूर्ण व्यय करते हैं तो अनुदान की राशि किसान के बैंक खाता में SNA SPARSH/CFMS 2.0/RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के इकाई लागत में GST को शामिल किया गया है एवं कुल इकाई लागत पर भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुरूप अनुदान देय होगा।
20. अन्य अंतः क्षेप अन्तर्गत जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा योजना का जियो टैगिंग/कृषि मैपर ऐप पर भी अपलोड किया जायेगा तथा डुप्लीकेसी की संभावना को पूर्णतः समाप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई अन्तर्गत जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग फोटोग्राफ एवं प्राक्कलन को कृषकों द्वारा चयनित मनोनुकूल प्रतिष्ठान द्वारा किया जायेगा तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा जिसे जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी एवं प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा। योजना स्थल पर कार्य आरंभ करने के साथ ही एक स्थायी सूचना पट्ट लगाकर पूर्ण विवरण यथा– कार्यान्वयन एजेंसी का नाम, लाभुक का नाम एवं पता, योजना का नाम, योजना निर्माण का वर्ष, प्राक्कलित राशि एवं योजना स्थल का विवरण अंकित किया जायेगा। सूचना पट्ट के उपर में बिहार सरकार, उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना अंकित किया जायेगा।
21. योजना के कार्यान्वयन का गहन अनुश्रवण किया जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत निबंधित कंपनी द्वारा प्रत्येक जिला में यंत्र अधिष्ठापन उपरांत तीन वर्षों तक After Sale Service निःशुल्क देने की व्यवस्था की गयी है तथा अन्य अंतःक्षेप अन्तर्गत लगाये गये बोरवेल/पम्पसेट की देख–रेख निर्माण के बाद उससे जुड़े संबंधित कृषक द्वारा की जायेगी।
22. राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन से संबंधित भारत सरकार की मार्गदर्शिका में क्षेत्र के आकार एवं फसलों की दूरी के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप सिंचाई पद्धति एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति) हेतु दिये गये सामग्रियों की सूची के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
23. योजना से सम्बंधित लाभार्थियों को कृषि विभाग के वेबसाईट dbtagriculture.bihar.gov.in पर भी पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। योजना की राशि का भुगतान लाभुक के आधार से जुड़े बैंक खाते या वेंडर के खाते में किया जायेगा।
24. योजना के भौतिक लक्ष्यो में जिलावार माँग के अनुरूप अंतर्जिला लक्ष्य अंतरण निदेशक उद्यान द्वारा विभागीय प्रधान सचिव के अनुमोदन उपरांत स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा, ताकि ससमय लक्ष्य की प्राप्ति हो सके ।
25. योजना के उपयोगिता की जानकारी किसानों तक पहुँचाने तथा योजना अन्तर्गत Third Party सत्यापन एवं सामग्री परीक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27की स्वीकृत राशि से किया जाएगा। जिसका व्यय मिशन प्रबंधन मद से किया जाएगा। इस हेतु तकनिकी एजेंसियो की सूचीबद्धता एवं Random जाँच का डिजिटल तंत्र स्थापित किया जायेगा।
26. निदेशक उद्यान, बिहार, पटना केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की आवंटित राशि को सचिवालय कोषागार, विकास भवन से निकासी कर SNA SPARSH/CFMS 2.0 के माध्यम से भुगतान की जायेगी। जबकि अन्य अंतः क्षेप अन्तर्गत ऑनलाइन अनुदान का भुगतान DBT IN KIND/DBT IN CASH के रूप में संबंधित लाभुक/कंपनी को SNA SPARSH/CFMS 2.0 के माध्यम से जिलों के द्वारा किया जायेगा।
27. योजना का कार्यान्वयन एजेंसी राज्य स्तर पर निदेशक उद्यान, बिहार तथा जिला स्तर पर जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा योजना क्रियान्वित की जायेगी।

28. योजना कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यान्वयन मार्गदर्शिका के आलोक मे सुनिश्चित किया जायेगा।
29. वित्त विभाग का पत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–410 दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
30. अनुदान का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित Indicative Cost के आधार पर किया जायेगा।
31. स्वीकृत्यादेश निर्गत तिथि के 18 माह के अन्दर व्यय की गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना तथा प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को इस योजना हेतु अंकेक्षण का अधिकार होगा।
32. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना होंगे। निदेशक, उद्यान समय–समय पर योजना के क्रियान्वयन तथा प्रगति की स्वयं समीक्षा करेंगे।
33. वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
(क) केन्द्रांश+राज्यांश		
मुख्य शीर्ष –2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष –00,लघु शीर्ष 109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, माँग सं०– 01, उप शीर्ष 0218–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर०के०वी०वाई०), पी० एफ० एम० एस० कोड–9347, विपत्र कोड –01-2401001090218, विषय शीर्ष –0218.31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन	8741.40	8061.74486
मुख्य शीर्ष –2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष –00,लघु शीर्ष 789अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०– 01, उप शीर्ष 0239– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(आर०के०वी०वाई०), विपत्र कोड –01-2401007890239, पी० एफ० एम० एस० कोड़–9347 विषय शीर्ष –0239.31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन	1691.20	1559.70880
मुख्य शीर्ष –2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष –00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०– 01, उप शीर्ष 0261– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(आर०के०वी०वाई०), पी० एफ० एम० एस० कोड–9347, विपत्र कोड –01-2401007960261, विषय शीर्ष –0261.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	137.40	126.72634
योग	**10570.00**	**9748.18**

34. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव लोक वित्त समिति से दिनांक–22.07.2026 को अनुशंसित है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मद् संख्या–01 के रूप में दिनांक–29.07.2026 को संचिका संख्या –27/DOH/CS/04/2026 के पृष्ठ संख्या –36 / टि० पर प्राप्त है।
35. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि०(2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
36. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार कीसहमति संचिका संख्या –27/DOH/CS/04/2026 के पृष्ठ संख्या–38 / टि० पर दिनांक–31.07.2026 को प्राप्त है, जिसकी डायरी संख्या–529 दनांक–31.07.2026 है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DOH/CS/04/2026 - पी०पी०एम० - 61 - पटना, दिनांक-31.07.2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DOH/CS/04/2026 - पी० पी० एम० - 61 - पटना, दिनांक-31.07.2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रीमण्डल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DOH/CS/04/2026 - पी० पी० एम० - 61 - पटना, दिनांक-31.07.2026

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DOH/CS/04/2026 - पी० पी० एम० - 61 - पटना, दिनांक-31.07.2026

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DOH/CS/04/2026 - पी० पी० एम० - 61 - पटना, दिनांक-31.07.2026

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DOH/CS/04/2026 - पी० पी० एम० - 61 - पटना, दिनांक-31.07.2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

1433 37

Annexure - 1

Annual Action Plan - PMKSY-PDMC (2026-27)

Drip Irrigation (Drip, Mini, Micro)

Sl No.	Components	Drip Area (in ha)	Subsidy Cost	Total Cost of Subsidy (in lakh)
1	2	3	4	5=3*4
Small & Marginal (1.37*55%=0.754 lakh) / Big Farmer (1.37*45%=0.617 lakh)				
1	Small & Marginal	9800	0.754	7389.20
2	Big Farmer	200	0.617	123.40
Total		10000		7512.60

Sprinkler Irrigation (Portable Sprinkler)

Sl No.	Components	Sprinkler Area (in ha)	Subsidy Cost	Total Cost of Subsidy (in lakh)
1	2	3	4	5=3*4
Small & Marginal (0.29214*55%=0.16068 lakh) / Big Farmer (0.29214*45%=0.13146 lakh)-				
1	Small & Marginal	580	0.16068	93.19
2	Big Farmer	20	0.13146	2.63
Total		600		95.82
Grand Total (Drip + Sprinkler) Total Cost				7608.42

Other Intervention (OI)

Sl. No	Component	Unit in Nos.	Subsidy Cost	total cost of Subsidy (in lakh)
1	2	3	4	5=3*4
1	Borewell & Pumpset	4755	0.4	1902.00
Total				1902.00

Summary Details

Sl. No.	Components	Total Subsidy Amount (Central + State)	Total
1	Small & Marginal- DRIP @ 55%	7389.20	7389.20
2	Big Farmers-DRIP @45%	123.40	123.40
3	Small & Marginal- SPRINKLE @ 55%	93.19	93.19
4	Big Farmers-SPRINKLE @45%	2.63	2.63
5	Other Intervention	1902.00	1902.00
6	Mission Management	237.76	237.76
Grand Total		**9748.18**	**9748.18**

बिजय कुमार पंडित

10/17

(अभिषेक कुमार)

1432
(373)

Annexure - 2

Annual Target 2026-27

South Bihar Districts

Sl. No	District	Drip, Mini & Micro Sprinkler (In Acre)	Portable Sprinkler (In Acre)	Other Intervention (in Nos)
				Individual borewell & pumpset
1	Gaya	1240	70	250
2	Patna	1100	70	250
3	Nalanda	1100	70	220
4	Rohtas	1200	50	250
5	Bhagalpur	700	30	150
6	Nawada	800	30	160
7	Bhojpur	700	30	150
8	Kaimur	1100	30	220
9	Aurangabad	1250	30	250
10	Buxar	1000	30	200
11	Banka	700	30	150
12	Jamui	700	30	150
13	Munger	700	30	150
14	Lakhisarai	900	30	180
15	Jehanabad	500	30	100
16	Sheikhpura	800	20	160
17	Arwal	550	20	110
Total Annual Target for South Bihar(in Acres)		15040	630	3100

Annual Target 2026-27

North Bihar Districts

Sl. No	District	Drip, Mini & Micro Sprinkler (In Acre)	Portable Sprinkler (In Acre)	Other Intervention (in Nos)
				Individual borewell & pumpset
1	Purvi Champaran	500	70	80
2	Madhubani	300	60	60
3	Samastipur	600	60	90
4	Saran	400	50	80
5	Siwan	600	50	90
6	Darbhanga	400	50	90
7	Begusarai	500	50	90
8	Pachim Champaran	400	50	90
9	Sitamadhi	600	50	90
10	Vaishali	500	50	90
11	Muzaffarpur	480	40	100
12	Katihar	480	40	90
13	Gopalganj	700	40	100
14	Purnea	700	40	95
15	Madhepura	500	30	90
16	Supaul	300	20	60
17	Saharsa	200	20	50
18	Araria	200	22	50
19	Kishanganj	600	20	60
20	Khagaria	400	20	60
21	Seohar	300	20	50
Total Annual Target for North Bihar (in Acre)		9660	852	1655

Total Annual Target for Bihar for the Year 2026-27	Drip, Mini & Micro Sprinkler (In Acre)	Portable Sprinkler (In Acre)	Other Intervention (in Nos)
			Individual borewell & pumpset
	24700	1482	4755
	In Ha	In Ha	
	10000	600	

बिजय कुमार पंडित

11/7

(अभिषेक कुमार)

1431/372

Annexure - 3

1 हे० रकवा हेतु ड्रिप (1.2 x 0.6 m) का प्राक्कलित राशि (Optional Component सहित)

(i) सांकेतिक मूल्य (Indicative Cost) – 146626.00 रूपये
(ii) हाईड्रो साइक्लोन फिल्टर – 6325.00 रूपये
(iii) फर्टिलाईजर टैंक – 5750.00 रूपये
(iv) वाइंडर मशीन – 2000.00 रूपये
(v) GST (5%) – 8035.05 रूपये
कुल राशि (GST सहित) – 1,68,736.05 रूपये (Indicative Cost with Optional Component)
(vi) कृषक अंश की राशि (20%) – **33747.21 रूपये**

1 हे० रकवा हेतु मिनी स्प्रिंकलर (10 x 10 m) का प्राक्कलित राशि

(I) सांकेतिक मूल्य (Indicative Cost) – 108254.00 रूपये
(II) हाईड्रो साइक्लोन फिल्टर – 6325.00 रूपये
(III) फर्टिलाईजर टैंक – 5750.00 रूपये
(IV) GST (5%) – 6016.45 रूपये
कुल राशि (GST सहित) – **126345.50 रूपये** (Indicative Cost with Optional Component)
(V) कृषक अंश की राशि (20%) – 25269.09 रूपये

क्र० सं०	अवयव	प्रतिशत रकवा	रकवा हे० मे	सांकेतिक मूल्य /हे०	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	ड्रिप	25	2500	168736.1	42,18,40,250.00
2	मिनी स्प्रिंकलर	75	7500	126345.5	94,75,91,250.00
3	कुल	100	10000		1,36,94,31,500.00
4	औसत दर प्रति हे० (कंडिका 6 के क्रमांक 3 को कंडिका 4 के क्रमांक 3 से भाग देकर निर्धारित किया गया है।)				1,36,943.15

नोट :– औसत दर 1.37 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की लागत पर योजना का सूत्रण किया गया है।

1 हे० रकवा हेतु पोर्टेबल स्प्रिंकलर का प्राक्कलित राशि

(i) सांकेतिक मूल्य (Indicative Cost) – 27823.00 रूपये
(ii) GST (5%) – 1391.15 रूपये
कुल राशि (GST सहित) – 29214.15 रूपये
(iii) कृषक अंश की राशि (45%) – 13146.37 रूपये

नोट :– औसत दर 0.29 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की लागत पर योजना का सूत्रण किया गया है।

बिजय कुमार पंडित

12/12

(अभिषेक कुमार)

14301 (371)

Annexure – 4

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत पट्टा वितरण की विवरणी :–

क्र० सं०	जिला	पट्टा वितरण
1	गया	22
2	जमुई	20
3	बांका	11
4	रोहतास	43
5	प० चम्पारण	95
कुल :–		**191**

नोट :– भारत सरकार के मार्गदर्शिका के कंडिका 7.31.1 के तहत पट्टा धारकों को 90 प्रतिशत अनुदान देने हेतु निदेशित किया गया है।

बिजय कुमार पंडित

(अभिषेक कुमार)

13/17

ANNEXURE-5

Estimate and Abstract of Cost for the Construction of "Irrigation Borewell (Individual)" at site during the Year - 2023-24.

97

Name :- Construction of Irrigation Borewell (Individual)

ϕ = 100 mm & Depth = 48.78 Mtr.

	Item Code	Items of work	Quantity	unit	Rate	Amount
	24.1.1A	Boring/drilling bore well of required dia for casing/ strainer pipe, by suitable method prescribed in IS: 2800 (part I), including collecting samples from different strata, preparing and submitting strata chart/bore log, including hire & running charges of all equipments, tools, plants & machineries required for the job, all	48.78	mtr.	486.80	23,746.10
2	24.3.1	Supplying, assembling, lowering and fixing in vertical position in bore well, unplasticized PVC medium well casing (CM) pipes of required dia, conforming to IS: 12818, including required hire and labour charges, fittings & accessories etc. all	33.54	mtr.	546.10	18,316.19
	24.4.1	Supplying, assembling, lowering and fixing in vertical position in bore well, unplasticized PVC medium well screen (RMS) pipes of required dia, conforming to IS: 12818, including required hire and labour charges, fittings & accessories etc, all complete, for all depths, as per direction of E/I. Dia. = 100 mm	12.20	mtr.	573.10	6,991.82
5	24.10.1	Supplying, assembling, lowering and fixing in vertical position in bore well, ERW (Electric Resistance Welded) FE 410 mild steel screwed and socketed/ plain ended casing pipes of required dia, conforming to IS: 4270, of reputed & approved make,	3.05	mtr.	1121.20	3,419.66
6	24.8	Gravel packing in tube well construction in accordance with IS: 4097, including providing gravel fine/ medium/ coarse, in required grading & sizes as per actual requirement, all complete as per direction of Engineer-in-charge. Qty= $\pi \times [(0.150)^2 - (0.050)^2] \times 48.78 = 3.07$ m3	3.070	cum	1343.20	4,123.62
		Carriage (1 KMK + 110 KMP)	3.070	cum	2741.79	8,417.30
7	24.13.1	Providing and fixing suitable size threaded mild steel cap or spot welded plate to the top of bore well housing/ casing pipe, removable as per requirement, all complete	1	each	189.70	189.70
8	24.14.1	Providing and fixing M.S. clamp of required dia to the top of casing/ housing pipe of tubewell as per IS: 2800 (part I), including necessary bolts & nuts of required size	1	each	1448.40	1,448.40
9	24.15.1	Providing and fixing Bail plug/ Bottom plug of required dia to the bottom of pipe assembly of tubewell as per IS:2800 (part I).	1	each	228.30	228.30
10	24.12	Development of tube well in accordance with IS : 2800 (part I) and IS: 11189, to establish maximum rate of usable water yield without sand content (beyond permissible limit), with required capacity air compressor, running the compressor	5.00	Hrs	916.80	4,584.00
		Transportation of rig machine & other tools and plants			L.S. Rs.	3,000.00
11		Miscellaneous cost of bentonite powder, cost of fast moving parts of mud pump such as bucket coupling, valve, ring, Packing kit, Gallon suta, fan belt, Pipe Band including raising height above G.L. and Cost of Signboard with Photography etc. complete.			L.S. Rs.	3,000.00
					Sub Total Rs.	77,465.10
		Deduction for Contractor's Profit and Overhead Charge @ 13.05% (-) Rs.				10,109.20
					Sub Total Rs.	67,355.90
					Add G.S.T. @ 18% Rs.	12,124.06
					Total Rs.	79,479.96
		Or, Say Rs. 79,480.00 (Seventy nine thousand Four hundred Eighty Only)				

नोट:- यह मानक प्राक्कलन खेत की सिंचाई हेतु नलकूप निर्माण का है। यह मानक प्राक्कलन पटना प्रमंडल के लिए अनुमान्य दर एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है। अतः अन्य प्रमंडलों में कार्यों के लिए प्रभावी दर एवं स्थल की भौगोलिक स्थिति के आवश्यकतानुसार Working Estimate तैयार किया जाएगा।

Prepared by	Checked by	Checked & Verified by
20/07/2023	28/7/2023	28/7/2023
(Amit Kumar)	(Shilpi)	(Shashi Shekhar Mandal)
Engineering Expert, Patna	Assistant Dir. (Ag. Engg.) Directorate of Horticulture, Bihar, Patna	Dy. Dir. (Ag. Engg.) Soil Conservation Directorate, Bihar, Patna

14/12

(अभिषेक कुमार)

Scanned with OKEN Scanner